नोन रिपोर्टेबल

सर्वोच्च न्यायालय

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार

(फौजदारी अपील नम्बर 1779 सन् 2019)

(एस०एल०पी. (फौजदारी) नम्बर ८४१० सन् २०१६ से उत्पन्न)

जोधराज व अन्य

... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार

... प्रत्यार्थी

मय

फौजदारी अपील नम्बर 1780 सन् 2019

(एसएलपी (फौजदारी) नम्बर 5350 सन् 2017 से उत्पन्न)

निर्णय

एम०आर०शाह, न्यायाधिपति

- 1.राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के आदेश दिनांक 19.01.2016 डी०बी. किमिनल अपील संख्या 549 सन् 2012 में पारित आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा गया, से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर मूल अभियुक्त संख्या 1 एवं 12 द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी।
- 2. उक्त अपेक्षित निर्णय एवं आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त संख्या 2 भंवरलाल को बरी कर दिया गया। इसलिये सरकार द्वारा भी उक्त बरी के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी।
- 3- अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 22.05.2005 की रात्रि में 9.30 बजे ग्राम कदियावन में 14 व्यक्तियों

जोधराज पुत्र मथुरालाल, हेमराज पुत्र बिरधीलाल, भंवरलाल पुत्र मथुरालाल, मथुरालाल पुत्र बलदेव, द्वारका लाल पुत्र रामनारायण, देवकिशन पुत्र रामनारायण, प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र बिरधीलाल, नवल पुत्र नवल किशोर पुत्र बिरधीलाल, बद्रीला पुत्र कंवर लाल, रामप्रसाद पुत्र नारायण, रामनारायण, प्रभूलाल पुत्र बिरधीलाल, जगदीश प्रसाद पुत्र मथुरालाल, रामदयाल पुत्र रामनारायण एवं पूरणमल पुत्र रामनारायण द्वार एक अवैधिक समूह गठित किया गया एवं हरिराम को उपहितंया कारित की गयी, परिणामस्वरूप दिनांक 22 मई एवं 23 मई 2005 की रात्रि में हरिराम की मृत्यु हो गयी।

3.1 सभी अभियुक्त को विद्वान अनवीक्षा न्यायालय द्व ारा धारा १४७, १४८, ३२३/१४९, ३२३/१४९, 326/149, 302 सपिटत 149 एवं 379 भारतीय दण्ड संहिता में अनवीक्षा की गयी।

3.2 अपने मामले को सिद्धि करने के लिए अभियोजन द्व ारा 18 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया एवं उससे दो कथित चकशुदर्शी गवाह पी.डब्लू-2 ओमप्रकाश एवं पी. डब्लू-3 रामदयाल को भी परीक्षित करवाया गया। अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में हरिराम का चोट प्रतिवेदन भी प्रदर्शित करवाया गया। हरिराम के चोट

- (i) रगड $1 \times 1 \mathrm{cms}$. अग्रभुजा पर दाई तरफ, साधारण, कुन्द
- (ii) कटा हुआ धाव 7 × 1 cms. मांसपेशी तक गहरा, गले कि दांयी तरफ तिरछा साधारण कुंद

- (iii) कटा हुआ घाव 20 × 7cms. आंते बाहर आयी हुई है, पेट पर अग्रिम तरफ, अनुदैर्ध्य, गंभीर एवं प्राणघातक धारदार
- 3.3 साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद, विद्वान अनवीक्षा न्यायालय द्वारा पांच अभियुक्त जोधराज, भंवरलाल, द्व रिकालाल, जगदीश प्रकाश, पूरनमल को धारा अंतर्गत 148, 302/149 एवं 379 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धि की गयी एवं शेष अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। अनवीक्षा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।
- 3.4 अनवीक्षा न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.05.2012 से व्यथित एवं असंतुष्ट होने पर, अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, सरकार द्वारा भी बरी के आदेश के विरुद्ध अपील पेश की गयी। अपने आक्षेपित

निर्णय से उच्च न्यायालय द्वारा मूल अभियुक्त संख्या 3 भंवरलाल को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया एवं पी.डब्लू २ एवं ३ के कथनों पर विश्वास नहीं किया गया। हालांकि पी.डब्लू 2 के कथनों पर विश्वास करते हुए मूल अभियुक्त संख्या १ एवं २ की दोषसिद्धि यथावत रखी। 3.5 उच्च न्यायालय के यथावत रखने के आदेश से व्यथित एवं अंसतुष्ट होने पर मूल अभियुक्त संख्या 1 एवं 12 जोधराज एवं जगदीश प्रसाद द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। भंवरलाल के बरी के आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा भी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अतः दोनों अपीलों की सुनवाई साथ साथ की गयी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट जोधराज एवं जगदीश प्रसाद द्व ारा पुरर्जोर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलांट को दोषसिद्ध कर गलत निर्णय पारित किया गया।

4.1 विद्वान अधिवक्त अपीलांट द्वारा पुरजोर यह बहस की गयी की उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का आदेश मात्र पी.डब्लू-२ एवं ३ की साक्ष्य अनुरूप यथावत रखा गया है। यह तर्क दिया गया कि पी.डब्लू-2 एवं पी.डब्लू-3 के बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता 18 दिन बाद लेखबद्ध किये गये। पी.डब्लू २ एवं पी.डब्लू ३ द्वारा अतिशयोक्ति में बयान दिये गये। यह भी तर्क दिया गया कि जिस आधार पर भंवरलाल व अन्य को बरी किया गया, जैसा कि पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 के बयानों पर ना विश्वास करना, वही बयान अपीलांट पर भी लागू होने चाहिये, यह भी तर्क दिया गया कि पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 के कथनों पर भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिये, अपीलांट/अभियुक्त के क्रम में यह भी तर्क दिया गया कि सिवाय पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 के कथनों के उच्च न्यायालय द्वारा किसी ओर साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया गया।

- 5. सरकार के ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुरजोर बहस की गयी कि भंवरलाल को बरी कर उच्च न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की गयी।
 - 5.1 विद्वान अधिवक्ता राज्य की ओर से यह तर्क दिया कि चोट संख्या 3 अभियुक्त जगदीश प्रसाद द्वारा कारित की गयी थी जो कि प्राणघातक है। यह भी तर्क दिया गया कि पूर्व में भी घटना हुई थी जो पीडब्लू-2 ओमप्रकाश के कथनों से प्रमाणित हुई है। यह भी तर्क दिया गया कि पीडब्लू-2 के कथनों से यह प्रमाणित हुआ है कि विशिष्टय : चोट संख्या-3 जगदीश प्रसाद द्वारा कारित की गयी

है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पीडब्लू-2 की साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसे योग्य है एवं जगदीश प्रसाद पर अनवीक्षा न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जगदीश प्रसाद की दोषसिद्धि उचित है। यह भी तर्क दिया गया कि अन्य अभियुक्त जोधराज द्वारा उक्त घटना में सहयोग किया गया एवं चोट संख्या 2 उसके द्वारा कारित की गयी इसलिये अनवीक्षा न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्धि किया गया एवं उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान अनवीक्षा न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गयी।

6- विद्वान अधिवक्ता दोषमुक्त अभियुक्त भंवरलाल की ओर से उच्च न्यायालय के निर्णय जिसके द्वारा अभियुक्त भंवरलाल को बरी किया गया, का समर्थन किया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा सही कारणों से अभियुक्त भंवरलाल को बरी किया गया है, इसलिये भंवर लाल के बरी का आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तों को विस्तृत रूप से सुना गया। हमारे द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य का विशलेष किया गया एवं अनवीक्षा न्यायालय के साथ ही साथ उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश पर मनन किया गया।

शुरूआत में इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वान अनवीक्षा न्यायालय द्वारा 14 में से 5 अभियुक्तों को अंतर्गत धारा 148, 302/149, 379 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धि की गयी। अभियोजन द्वारा पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 के कथनों पर अत्यधिक विश्वास किया गया जो स्वयं को चक्शुदर्शी साक्ष्य बतलाते हैं। अभियोजन द्वारा यथाकथित मृत्युकालीन कथनों पर भी विश्वास किया गया है। अपील में, उच्च न्यायालय द्व

ारा यह तर्क देते हुए अन्य अभियुक्त भंवरलाल को बरी कर दिया गया कि पीडब्लू-2 ओमप्रकाश एवं पीडब्लू-3 रामदयाल के 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन 18 दिन लेखबद्ध किये गये एवं रामदयाल के अतिश्योक्ति थे एवं परिवार के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसलिये, उच्च न्यायालय इस मत का था कि पीडब्लू-2 ओमप्रकाश एवं पीडब्लू-3 रामदयाल के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया में दिये गये कथन कोई शंका नहीं छोड़ते कि उक्त दोनों गवाह ने देरी का लाभ उठाकर एवं तीन चोटे जो मृतक हरीराम को कारित की गयी थी, जिसमें कि एक तो रगड़ ही थी, गवाहों द्वारा 14 व्यक्तियों को फंसाया जाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार, गवाहों की ओर से जो दोष अधिरोपण किया गया है, हमारे द्वारा उक्त भूसे से अनाज छानने का

करता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय आहवान पीडब्लू-२ एवं पीडब्लू-३ के कथनों पर अभियुक्त भंवरलाल के विरुद्ध विश्वास नहीं किया गया। फिर भी उसी समय, उच्च न्यायालय द्वारा पीडब्लू-२ एवं पीडब्लू-३ के कथनों पर विश्वास करके अपीलांट जोधराज एवं जगदीश प्रसाद कि दोषसिद्धि के आदेश को पुष्ट किया है। इसलिये प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए, हम इस मत के है कि पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 के कथनों को एक अभियुक्त के विरुद्ध विश्वसनीय नहीं माना। एक अभियुक्त संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया जो आधार ऊपर वर्णित नहीं किये गये हैं वही लाभ अन्य अभियुक्तों को भी दिया जाना था, जब तक कि कुछ ओर सामग्री। साक्ष्य अभियुक्तों के विरुद्ध ना आ जावे। जैसा कि उपरोक्त बताया गया है, अपीलांट अभियुक्तों की दोषसिद्धि के लिए

पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू- के कथनों के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है । परिस्थितियों के अंतर्गत अपीलांट अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य साक्ष्य के अभाव में उच्च न्यायालय का अनवीक्षा न्यायालय को यथावत रखने का आदेश पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 के कथनों के अनुसार वास्तव में भूल थी इन कथनों पर न्यायालय द्वारा अविश्वास किया गया अन्य अभियुक्त को बरी करने में, इन्हीं कारणों को उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किया जाना था जो उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त भंवर लाल को बरी करने में अपनायी गयी थी। हम उच्च न्यायालय के मत से पूर्ण तरह सहमत है जो भंवर लाल को बरी करने में अपनायी गयी। उच्च न्यायालय द्वारा ठोस कारण बताये गये हैं। पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-3 के कथनों को अविश्वास करने के लिए।

8. उपरोक्त दिये गये आधारों पर, जोधराज एवं जगदीश प्रसाद द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्व ारा आक्षेपित निर्णय एवं आदेश एवं अनवीक्षा न्यायालय द्व ारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं आदेश अंतर्गत धारा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता को खारिज एवं ख़द किया जाता है एवं दोनों उन अपराधों के लिए जिनके लिए उन्हें अनवीक्षित किया गया, संदेह का लाभ देते हुए अभियक्तों को बरी किया जाता है एवं इन्हें अगर किसी अन्य प्रकरण में उनकी आवश्यकता ना हो तो इन्हे उन्मुक्त कर दिया जावे सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के भंवरलाल को बरी करने के निर्णय एवं आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज किया जाता है।

नई दिल्ली अशोक भूषण, न्याायाधिपति 29 नवम्बर, 2019एम०आर० शाह, न्यायाधिपति अस्वीकरण – इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में इसका सीमित प्रयोग पक्षकार केवल अपनी स्थानीय भाषा में समझने के लिये कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम में नहीं लिया जायेगा। हर अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये उक्त निर्णयों का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं कियान्वयन में भी अंग्रेजी संस्करण को ही उपयोग में लिया जायेगा।

The translated judgment is vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.